

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर 15  
कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के श्री बुद्धिप्रकाश कुमावत, व्याख्याता-इतिहास, जन्म दिनांक 05.07.1988 मेरिट नम्बर 118, विभाग में जिनकी नियुक्ति/पदस्थापन आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/पीएसी-15/2018 दिनांक 24.08.2018 द्वारा व्याख्याता-इतिहास (प्रोवेशन ट्रेनी) किये जाने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रातडिया- अन्ता- बारा में दिनांक 01.09.2018 द्वारा कार्यग्रहण किया।

उक्त श्री कुमावत, व्याख्याता-इतिहास ने अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2020 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम-15 के पदाधिकार सुरक्षित (लियन) प्रावधानान्तर्गत पुनः मूल विभाग निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान- जयपुर के हेतु कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान- जयपुर पत्रांक दिनांक 08.01.2021 के तहत राजकीय सेवा में मूल विभाग में पूर्व पद सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड-1 के पद हेतु पदाधिकार सुरक्षित (लियन) के अन्तर्गत विभाग में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आगामी नियमानुसार कार्यमुक्त किये जाने की कार्यवाही की एतद् द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।

उक्त कार्मिक अगर परीक्षाधीन अवधि में हैं तो इनका विभाग में नियमानुसार लियन नहीं रहेगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित ना होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। सम्बन्धित तत्काल पालना करावें।

  
(सौरभ स्वामी)  
IAS

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर  
दिनांक-23.06.2021

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/पीएसी-15/इतिहास/लियन/2020-21

- प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-
- 1 उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
  - 2 निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान- जयपुर के पत्रांक एफ 3(ख)(बी)-289/2011 अलेसे-1/1094 दिनांक 30.08.18 तथा एफ.2(क)(बी)-445 अलेसे-1/1471 दिनांक 08.01.2021 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा,
  - 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-मा शिक्षा /मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
  - 4 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
  - 5 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनटरिंग करें।
  - 6 संबन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
  - 7 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था-सी-8/वरिष्ठता/एबी/संस्था-सी-ओएसी/एसीआर अनुभाग को उक्त कार्मिक के RPSC 2015 मेरिट न-118/BC, RG, NG/OBC M/ Roll N-516887 के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु।
  - 8 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर